आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005
फोन-(022) 66552711 / 3147
ईमेल - idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट-www.idbibank.in

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य (सदस्यों),

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 05 मई 2022 को जारी सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 व कोविड-19 संबंधित छूटों पर जारी पिछले परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, साथ ही सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा महा सभाओं पर जारी किए गए सचिवीय मानक ("एसएस -2") तथा वर्तमान में लागू व समय-समय पर यथा-संशोधित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), भिन्नता(ओं) या पुन:अधिनियमन सहित) के संबंध में इस सूचना में नीचे दिए गए विशेष कारोबारों का आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान के जरिए अनुमोदन करने का प्रस्ताव किया जाता है.

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत हैं. सदस्यों की सहमति या असहमति का सम्प्रेषण रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा.

विशेष कारोबार

मद सं. 1: श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530) की बैंक के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(iii) के अनुसरण में तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के प्रासंगिक प्रावधानों और यथा संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) व अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 196, 203 और अनुसूची V के यथा संशोधित प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों (अधिनियम) और कोई अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), परिवर्तन(नों), पुन:अधिनियमन (नों) सहित) के अनुसरण में तथा बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार एतद् द्वारा श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530) की आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी बैंक के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01 सितंबर 2022 के पत्र द्वारा अनुमोदित तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 05 सितंबर 2022 को अनुमोदित किए अनुसार इस डाक मतपत्र के संकल्प के साथ दिये विवरणात्मक स्पष्टीकरण में तथा किए गए पारिश्रमिक सहित शर्तों व निबंधनों पर 20 सितंबर 2022 से 3 वर्ष (तीन वर्ष) के लिए प्रभावी होने वाली पुनर्नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए और एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बैंक के कंपनी सचिव को अपने अधिकार प्रत्यायोजित करने सहित

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005,
Phone-(022) 66552711 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and the previous circulars on COVID-19 related relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) applicable in this regard ("MCA Circulars"), applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force, and as amended from time to time), the special businesses given below in this notice are proposed for approval of the members of IDBI Bank Ltd. to be transacted through Postal Ballot only by way of voting through electronic means.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, this Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Bank/Depositories. The communication of assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting system.

Special Business

Item No. 1: Re-appointment of Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530) as Deputy Managing Director (DMD)

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Article 116(1)(iii) of the Articles of Association of the Bank, relevant provisions of Section 35B and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949, as amended and the rules, guidelines and circulars as issued by the Reserve Bank of India (RBI) in this regard, from time to time, provisions of Sections 160, 196, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 as amended, read with the relevant rules made thereunder (the Act) and Regulation 17(1C) and other applicable provisions of the SEBI Listing Regulations and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and pursuant to recommendation by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors of the Bank, approval of members of the Bank, be and is hereby accorded to the re-appointment of Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530) as Deputy Managing Director (DMD) of the Bank, liable to retire by rotation, for a period of 3 years (three years) commencing from September 20, 2022 as approved by the RBI vide their letter dated September 01, 2022, and by the Board of Directors of the Bank on September 05, 2022, on such terms and conditions including remuneration as set out in the explanatory statement to this resolution of the Postal Ballot Notice."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities

सांविधिक/नियामक प्राधिकारणों के साथ किसी भी अपेक्षित या आवश्यक समझे जाने वाले या प्रासंगिक ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

मद सं. 2: बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री दीपक सिंघल (डीआईएन: 08375146) की पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसरण में तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए (2ए) के प्रासंगिक प्रावधानों और यथा संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 16,17 व 25 व अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 150, 152, 160 और अनुसूची V के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों (अधिनियम) और कोई अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), परिवर्तन(नों), पुन:अधिनियमन(मों) सहित) के अनुसरण में तथा बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा श्री दीपक सिंघल (डीआईएन: 08375146) जिनका बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पहला कार्यकाल 27 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला है और जो अधिनियम की धारा 149 (6) और सेबी सूचीबद्धता विनियम के 16 (1) (बी) विनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और जो पात्र हैं, उन्होंने बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त और सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पेश किया है को आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी न होने वाले एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 28 फरवरी 2023 से प्रभावी लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जाए और एतद् द्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बैंक के कंपनी सचिव को अपने अधिकार प्रत्यायोजित करने सहित सांविधिक/नियामक प्राधिकारणों के साथ किसी भी अपेक्षित या आवश्यक समझे जाने वाले या प्रासंगिक ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

मद सं. 3: स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर (डीआईएन: 08377808) की पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसरण में तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए (2ए) के प्रासंगिक प्रावधानों और यथा संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 16, 17 व 25 व अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 150, 152, 160 और अनुसूची V के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों (अधिनियम) और कोई अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), परिवर्तन(नों), पुन:अधिनियमन(मों) सहित) के अनुसरण में तथा बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर (डीआईएन: 08377808) जिनका बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पहला कार्यकाल 04 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला है और जो अधिनियम की धारा 149 (6) और सेबी सूचीबद्धता विनियम के 16 (1) (बी) विनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और जो पात्र हैं, उन्होंने बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त और सदस्यों के अनुमोदन के लिए

and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

Item No. 2: Re-Appointment of Shri Deepak Singhal (DIN: 08375146) as Independent Director

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 150, 152, 160 & Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules made thereunder (the "Act"), the provisions of Regulations 16, 17 & 25 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Section 10A(2)(a) and other relevant provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India (the "RBI"), in this regard, from time to time and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force), the provisions of the Articles of Association of IDBI Bank Limited (the "Bank") and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors of the Bank, Shri Deepak Singhal (DIN 08375146) whose first term as an Independent Director of the Bank is due to expire on February 27, 2023 and who meets the criteria of independence as prescribed under the provisions of Section 149(6) of the Act and Regulation 16(1)(b) of the SEBI Listing Regulations and who being eligible has offered himself for re-appointment as an Independent Director of the Bank, the approval of the members, be and is hereby accorded for re-appointment of Shri Deepak Singhal as an Independent Director of the Bank, not liable to retire by rotation, for second term of four consecutive years, with effect from February 28, 2023."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

Item No. 3: Re-Appointment of Shri Sanjay Gokuldas Kallapur (DIN: 08377808) as Independent Director

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 150, 152, 160 & Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules made thereunder (the "Act"), the provisions of Regulations 16, 17 & 25 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Section 10A(2)(a) and other relevant provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India (the "RBI"), in this regard, from time to time and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force), the provisions of the Articles of Association of IDBI Bank Limited (the "Bank") and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors of the Bank, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur (DIN 08377808) whose first term as an Independent Director of the Bank is due to expire on March 04, 2023 and who meets the criteria of independence as prescribed under the provisions of Section 149(6) of the Act and Regulation 16(1)(b) of the SEBI Listing Regulations and who being eligible has offered himself for re-appointment as an Independent

प्रस्ताव पेश किया है को आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी न होने वाले एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 05 मार्च 2023 से प्रभावी लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जाए और एतद् द्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बैंक के कंपनी सचिव को अपने अधिकार प्रत्यायोजित करने सहित सांविधिक/नियामक प्राधिकारणों के साथ किसी भी अपेक्षित या आवश्यक समझे जाने वाले या प्रासंगिक ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

ज्योति बीजू नायर
कंपनी सचिव
सदस्यता सं : ए 20554

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27अक्तूबर 2022

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई 400 005

टिप्पणियां :

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट विशेष कारोबार के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- एमसीए परिपत्रों के अनुसार बैंक यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज रहा है. तदनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति का संप्रेषण रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगा.
- यह डाक मतपत्र सूचना केवल बैंक के ऐसे सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से शुक्रवार, 21 अक्तूबर 2022 (कट-ऑफ तिथि) को प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में हैं. कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें इस डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए. डाक मतपत्र सूचना उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, जिन्होंने बैंक/ डिपॉजिटरी/ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत कराए हैं. यह बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (KFfintech/RTA) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगी.
- कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियम) के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 और संबंधित एमसीए परिपत्रों के अनुसार, इस डाक मतपत्र सूचना में निहित विशेष व्यवसायों की मद को पोस्टल बैलेट - रिमोट ई-वोटिंग द्वारा ही पारित किया जाना है.
- सदस्यों के वोटिंग अधिकार 21 अक्तूबर 2022 की कट-ऑफ तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार प्रदान किए गए वोटिंग कैप प्रतिबंधों के अधीन होंगे.
- बैंक इलेक्ट्रोनिक पद्धति से अपने मतदान करने की इच्छा रखने वाले सदस्यों के लिए केफ़िंटेक की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है. ई-वोटिंग **सुविधा गुरुवार, 03 नवंबर 2022 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक**

Director of the Bank, the approval of the members, be and is hereby accorded for re-appointment of Shri Sanjay Gokuldas Kallapur as an Independent Director of the Bank, not liable to retire by rotation, for second term of four consecutive years, with effect from March 05, 2023."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Jyothi Biju Nair
Company Secretary
Membership No. : A20554

Place: Mumbai
Date : October 27, 2022

Registered Office:
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005.

NOTES:

- The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the special businesses specified in the Postal Ballot Notice is annexed hereto.
- In accordance with the MCA Circulars, the Bank is sending this Postal Ballot Notice in electronic form only. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.
- The Postal Ballot Notice is being sent via email only to the Members of the Bank, whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners, as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on Friday, October 21, 2022 the cut-off date. Any person, who is not a Member as on the cut-off date, should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only. The Postal Ballot Notice is sent electronically to all the shareholders who have registered their email addresses with the Bank/Depositories/Registrar and Transfer Agent (RTA). The same will also be available on the Bank's website www.idbibank.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited (Kfintech/RTA) at https://evoting.kfintech.com
- In terms of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and the relevant MCA Circulars, the Item of Special Businesses set out in this Postal Ballot Notice is sought to be passed by Postal Ballot - remote e-voting only.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of October 21, 2022 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949

समयानुसार) से शुरू होगी और शुक्रवार, 02 दिसंबर 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बंद कर दी जाएगी. सदस्यों द्वारा संकल्प पर एक बार अपना मतदान किए जाने के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

- बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र मतदान संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की सुश्री अपर्णा गाडगिल और उनके न आने की स्थिति में श्री विश्वनाथन एन. एस. को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- डाक मतपत्र के परिणाम एमडी एवं सीईओ द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2022 को या उससे पहले घोषित कर दिए जाएंगे तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार केफ़िंटेक की वेबसाइट https://evoting.Kfintech.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
- संकल्प यदि अपेक्षित संख्या बल से अनुमोदित हो जाता है तो इसे 02 दिसंबर 2022 को पारित माना जाएगा जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख है.

क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश

<u>I. वैयक्तिक शेयरधारक जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं</u>

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की रही ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति होगी. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खाते में मोबाइल नंबर और ईमेल पते अद्यतन करें.

डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति, जैसाकि डिपॉजिटरियों द्वारा सूचित किया गया है, नीचे दी जा रही है :

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. यूजर जो एनएसडीएल की IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं : i. ब्राउज़र में टाइप करें/ई-सर्विस लिंक पर क्लिक करें: https:// eservices.nsdl.com ii. 'IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत 'Beneficial Owner' पर क्लिक करें. iii. एक नया पेज खुलेगा. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करें. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद 'Value Added Services' के अंतर्गत 'Access to e-Voting' पर क्लिक करें iv. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles' ऑप्शन पर क्लिक करें. v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.	**1. यूजर जो सीडीएसएल की Easi/Easiest सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं :** i. ब्राउज़र में टाइप करें/निम्नलिखित में से किसी भी लिंक पर क्लिक करें : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com ii. New System Myeasi पर क्लिक करें / Quick Login के अंतर्गत My Easi ऑप्शन लॉगिन करें. iii. Easi/Easiest एक्सेस के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करें. iv. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत देने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.
2. यूजर जो एनएसडीएल की IDeAS ई-सर्विस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं : i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित कोई भी ई-सर्विस	**2. यूजर जो सीडीएसएल की आईडीईएएस Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं :** i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित टाइप करें/ इस लिंक पर क्लिक करें :

- The Bank is providing Kfintech's e-voting facility to enable those Members who wish to cast their votes electronically. The e-voting commences on **Thursday, November 03, 2022 at 9:00 AM IST and ends on Friday, December 02, 2022 at 5.00 PM IST**. Once the vote on the Resolutions is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil and in her absence Mr. Viswanathan N. S. of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by MD & CEO on or before December 04, 2022 and will be displayed on the Bank's website at www.idbibank.in and shall also be displayed on the website of Kfintech at https://evoting.Kfintech.com in terms of Rules 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.
- The resolutions, if approved by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on December 02, 2022 i.e., the last date specified for remote e-voting.

a) PROCEDURE AND INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING:

<u>I. FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SECURITIES IN DEMAT</u>

In terms of the SEBI circular dated 9th December, 2020 on e-voting facility provided by listed companies, Individual shareholders holding shares of the Bank in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Login method for Individual shareholders holding shares in demat mode, as devised by the Depositories, is given below:

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility of NSDL: I. Type in the browser / click on the e-Services link: https:// eservices.nsdl.com ii. Click on the 'Beneficial Owner' icon under 'IDeAS' section. iii. A new page will open. Enter your User ID and Password. Post successful authentication, click on 'Access to e-Voting' under 'Value Added Services'. iv. Click on 'Active E-Voting Cycles' option under e-Voting. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider (Kfintech) and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.	**1. User already registered for Easi/Easiest facility of CDSL:** i. Type in the browser / click on any of the following links: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com ii. Click on New System Myeasi / Login to My Easi option under Quick Login. iii. Enter your User ID and Password for assessing Easi / Easiest. iv. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.
2. User not registered for IDeAS e-Services facility of NSDL: i. To register type in the browser /click on, any of the	**2. User not registered for Easi/Easiest facility of CDSL:** i. To register type in the browser /click on the

एनएसडीएल	सीडीएसएल
लिंक टाइप करें/ किसी भी पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp ii. 'Register Online for IDeAS' सिलेक्ट करें. iii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें. iv. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.	:https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration ii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें. iii. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.
3. विकल्प के तौर पर, यूजर सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं : i. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इस पर क्लिक करें : https://www.evoting.nsdl.com/ ii. 'Shareholder/Member' सेक्शन में उपलब्ध आइकॉन 'Login' पर क्लिक करें. iii. यूजर आईडी (अर्थात IN के साथ शुरू होने वाले एनएसडीएल के पास धारित 16 अंकीय डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार सत्यापन कोड इंटर करें. iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल वेबसाइट के ई-वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएगे. v. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' ऑप्शन पर क्लिक करें. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.	**3. विकल्प के तौर पर, यूजर सीधे सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं :** I. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इन पर क्लिक करें : www.cdslindia.com. ii. E-Voting पर क्लिक करें तथा अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन इंटर करें. iii. सिस्टम डीमैट खाते में उपलब्ध कराए गए अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर को अधिप्रमाणित करेगा. iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप सीएसडीएल के ई-वोटिंग मॉड्यूल को इंटर करेंगे. v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.

शेयरधारक जो यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव करने में असमर्थ हैं उनको सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध ऑप्शन Forgot User ID and Forgot Password का उपयोग करें.

एनएसडीएल से संपर्क करने के ब्योरे –शेयरधारक को किसी तकनीकी समस्या के मामले में : लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य अपना अनुरोध evoting@nsdl.co.in पर भेज कर या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 या 1800 22 44 30 कॉल कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते है.	**सीडीएसएल से संपर्क करने के ब्योरे –शेयरधारक को किसी तकनीकी समस्या के मामले में :** लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य अपना अनुरोध सीडीएसएल हेल्पडेस्क को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या 022- 23058738 अथवा 022- 23058542-43 पर कॉल कर संपर्क करें.

NSDL	CDSL
following e-Service link: https://eservices.nsdl.com Or https :// eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp ii. Select 'Register Online for IDeAS' iii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details. iv. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.	following link: https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration ii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details. iii. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.
3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of NSDL: i. Type in the browser /click on the following link: www.evoting.nsdl.com ii. Click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholder/Member' section. iii. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL starting with IN), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. iv. Post successful authentication, you will be redirected to e-Voting page on NSDL website. v. Click on 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' option under e-Voting. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.	**3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of CDSL:** i. Type in the browser /click on the following link: www.cdslindia.com. ii. Click on E-Voting and enter your DP ID & Client ID and PAN. iii. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. iv. After successful authentication, you will enter e-voting module of CDSL. v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.

Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned websites.

Contact details of NSDL – In case shareholders face any technical issue: Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.	**Contact details of CDSL – In case shareholders face any technical issue :** Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022- 23058542-43.

अपने डीमैट खाते/डिपॉज़िटरी सहभागियों के वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने के लिए वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट रूप में शेयर रखने वाले) हेतु प्रक्रिया

I. आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागियों के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए लॉगिन कर सकते हैं.

ii. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग ऑप्शन देख पाएंगे. एक बार e-voting ऑप्शन पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉज़िटरी साइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आपको ई-वोटिंग फीचर दिखाई पड़ेगा.

iii. बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

<u>II. गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए</u>

गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है :

यदि शेयरधारक आईडीबीआई बैंक/केफ़िंटेक ईमेल प्राप्त करता है [उन शेयरधारकों के लिए जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉज़िटरी सहभागियों के पास पंजीकृत हैं] :

i. यूआरएल : https:// evoting.kfintech.com टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउजर लांच करें.

ii. ईमेल पत्राचार में उल्लेख किए गए अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल (अर्थात यूजर- आईडी और पासवर्ड) इंटर करें. ई-वोटिंग इवेंट नंबर और आपका फोलियो नंबर या आपका डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी आपका यूजर-आईडी होगा.

यूजर-आईडी : डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए
एनएसडीएल के लिए : IN से शुरू 8 कैरेक्टर वाला डीपी आईडी तथा उसके बाद 8 अंकीय क्लाइंट आईडी.

सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी.
यूजर-आईडी : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए
ईवेन नंबर तथा उसके बाद आईडीबीआई बैंक /आरटीए के पास पंजीकृत फोलियो नंबर.

पासवर्ड : आपका यूनिक पासवर्ड इलेकट्रोनिक नोटिस के साथ ईमेल द्वारा भेजा जाता है.

कैप्चा : कृपया सत्यापन कोड इंटर करें, अर्थात सुरक्षा कारणों से अक्षर और संख्याएँ ठीक उसी रूप में जैसाकि वे प्रदर्शित की गई हैं.

iii. उपयुक्त रूप से ये ब्योरे इंटर करने के बाद 'LOGIN' पर क्लिक करें.

iv. यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो तो अब आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंचेगे जहां आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड चेंज करना होगा. नया पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z)एक न्यूमेरिक वैल्यू (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर (@, #, $, आदि) होंगे. पहली बार लॉगिन करने पर सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने तथा अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जैसे ब्योरे अद्यतन करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.
पासवर्ड भूल जाने कि स्थिति में उसे फिर से रिट्रीव करने के लिए आप अपने पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी इंटर कर सकते हैं. यह पुरज़ोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

v. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करने की जरूरत है.

vi. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद सिस्टम आपको ई-वोटिंग इवेंट नंबर 'EVEN', अर्थात IDBI Bank चुनने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.

vii. वोटिंग पेज पर आप संकल्प संबंधी विवरण देख पाएंगे और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' ऑप्शन रहेगा. 'FOR /

Procedure for Individual Shareholders (holding securities in demat mode) to login through their demat accounts / website of their Depository Participants

i. You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility.

ii. After successful login, you will be able to see e-voting option. Once you click on e-voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL depository site after successful authentication, wherein you can see e-voting feature.

iii. Click on the Bank's name or e-voting service provider's name and you will be redirected to e-voting service provider's website for casting your vote during the remote e-voting period without any further authentication.

<u>II. FOR NON-INDIVIDUAL SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM</u>

Login method for non-individual shareholders and shareholders holding shares in physical form are given below:

In case a shareholder receives an e-mail from IDBI Bank / Kfintech [for shareholders whose e-mail addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s)]:

I. Launch internet browser by typing the URL https: // evoting.Kfintech.com

ii. Enter the login credentials (i.e., user-id and password) mentioned in the email communication. The e-Voting Event Number and your Folio Number or your DP ID - Client ID will be your User- ID.

User - ID: For shareholders holding shares in Demat form:
For NSDL: 8 Character DP ID starting with IN followed by 8 Digits Client ID for CDSL: 16 digits beneficiary ID

User - ID: For shareholders holding shares in Physical Form:
EVEN number followed by Folio No. registered with IDBI Bank / RTA.
Password: Your unique password is sent via e-mail forwarded through the electronic notice.
Captcha: Please enter the verification code i.e. the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii. After entering these details appropriately, Click on 'LOGIN'.

iv. If you are logging in for the first time, you will now reach password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, $, etc.). The system will prompt you to change your password and update your contact details like mobile number, email ID, etc. on first login.
You may also enter a secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and that you take utmost care to keep your password confidential.

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the E Voting Event Number 'EVEN' i.e., IDBI Bank.

vii. On the voting page you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents the number of votes) as on the cut-off date under 'FOR / AGAINST' or

AGAINST' के अंतर्गत यथा कट ऑफ तारीख को शेयरों की संख्या (जो आपके मतदान की संख्या प्रदर्शित करता है) इंटर करें या विकल्प के तौर पर आप 'FOR' के लिए कोई भी आंशिक नंबर और 'AGAINST' के लिए कोई भी आंशिक नंबर इंटर कर सकते हैं, लेकिन 'FOR / AGAINST' के लिए कुल संख्या मिल कर कट ऑफ तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' का विकल्प भी चुन सकते हैं. यदि शेयरधारक 'FOR' या 'AGAINST' में से कोई भी नहीं चुनते हैं तो इसे 'ABSTAIN' माना जाएगा और धारित शेयरों को दोनों में से किसी भी हेड के अंतर्गत नहीं माना जाएगा.

viii. एकाधिक फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग-अलग वोटिंग प्रक्रिया को चुनेंगे.

ix. इसके बाद आप उपयुक्त ऑप्शन चुन कर अपना वोट दें तथा 'Submit' पर क्लिक करें.

x. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन कि अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान, संकल्प पर वोट करने के पहले तक शेयरधारक कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं.

कट ऑफ तारीख को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले कोई व्यक्ति और गैर वैयक्तिक सदस्य evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफ़िंटेक के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं/कर सकती हैं.

अपना मतदान करने के लिए II (i से x) में दिए गए अनुदेश का अनुसरण करें.

III. संकल्प पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों को सामान्य अनुदेश/जानकारी

I. कॉरपोरेट/ संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की सत्यापित स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति einward.ris@kfintech.com और idbiequity@idbi.co.in को भेजें.

ii. किसी पूछताछ के मामले में कृपया 'Downloads' सेक्शन में ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध 'Help' और 'Frequently Asked Questions' (FAQs) सेक्शन/E-voting user manual देखें जो आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत को श्री एस. वी. राजू, उप महा प्रबन्धक को ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com या evoting@kfintech.com को भेज सकते हैं.

iii. डाक मतपत्र की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर कागजी स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ठ और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.
2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप उपर्युक्त टेबल में बताई पद्धति से लॉगिन करें.
3. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2) , जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए einward.ris@kfintech.com पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

alternatively, you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST' but the total number in 'FOR / AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN'. If the shareholder does not indicate either 'FOR' or 'AGAINST' it will be treated as 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

viii. Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folios / demat accounts.

ix. You may then cast your vote by selecting an appropriate option and click on 'Submit'.

x. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution(s).

Any person holding shares in physical form and non- individual members as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@Kfintech.com. However, if he / she is already registered with Kfintech for remote e-voting then he /she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

Follow the instructions at II (i) to (x) to cast your vote.

III. GENERAL INSTRUCTIONS/INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR VOTING ON THE RESOLUTIONS:

I. Corporate/Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/Authority Letter etc., to the Scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to einward.ris@Kfintech.com and idbiequity@idbi.co.in

ii. In case of any queries, please visit 'Help' and 'Frequently Asked Questions' (FAQs) section / E- voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section available at RTA's website https://evoting.Kfintech.com or call at toll free no. 1800 309 4001. Any grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. S V Raju, Deputy General Manager, at e-mail id: einward.ris@Kfintech.com or evoting@Kfintech.com.

iii. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained in table above.
3. Alternatively member may send an e-mail request to einward.ris@Kfintech.com for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

1. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों, जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी ईमेल-आईडी(यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.
2. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन और शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खाते में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.
3. दिनांक 03 नवंबर 2021 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार, सेबी ने आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने की शर्तों को प्रोसेस करने के लिए सामान्य और सरलीकृत शर्तें निर्धारित की हैं. संबंधित प्रपत्रों के साथ उक्त परिपत्रों की प्रतियां आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/idbibank-investor.aspx और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट (केफिन्टेक), लिमिटेड, अर्थात् बैंक के आरटीए की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध है.
   तद्नुसार, केवाईसी दस्तावेज़ जमा करना और उपर्युक्त परिपत्र में अधिदेश के अनुसार नामिती विवरण को अद्यतित करना आपके हित में है. फोलियो, जिसमें 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद केवाईसी विवरण या नामिती विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होगा, को उक्त परिपत्रों की शर्तों के अनुसार केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज़ कर दिया जाएगा. केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज़ किए गए फोलियो को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन प्रशासन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज़ रहते हैं.
4. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारक/(कों), जिनके शेयर कागजी रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को कागजी स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

डाक मतपत्र सूचना में दिए गए विशेष कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 01:

श्री सैमुएल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530) को 20 सितम्बर 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी एवं डबल्यूटीडी तथा आवर्ती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री सैमुएल जोसेफ का अनुमोदित कार्यकाल 19 सितम्बर 2022 को समाप्त हो गया.

बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और निदेशक मंडल का मानना है कि श्री जोसेफ एक पूर्णकालिक निदेशक के रूप में टर्नअराउंड टीम का हिस्सा रहे हैं और लगातार 5 सालों तक हानि होने बाद, मार्च 2020 से लगातार 8 तिमाहियों में बैंक ने लाभ कमाया है. इसलिए, एनआरसी ने 02 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इस पर विचार किया और श्री जोसेफ को बैंक के

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

1. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

2. In terms of SEBI Circular No. SEBI / HO / MIRSD / DOP1 / CIR / P / 2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, along with the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.

3. In terms of Circular no. SEBI / HO / MIRSD / MIRSD_RTAMB / P / CIR/2021/655 dated November 3, 2021, SEBI has laid down common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination. Copies of the said Circulars together with relevant forms are available on the website of IDBI Bank at https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of Kfin Technologies Limited (Kfintech), viz. RTA of the Bank at www.Kfintech.com.

   Accordingly, it is in your interest to submit the KYC documents and update nominee details as mandated in the above mentioned circular. Folios wherein any one of the KYC details or nominee details are not available on or after 1st April, 2023, shall be frozen by Kfintech / IDBI Bank in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by Kfintech / IDBI Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December, 2025.

4. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the Special Business given in the Postal Ballot Notice

Item No. 1:

Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530) was appointed as DMD & WTD and rotational director for a period of three years w.e.f. September 20, 2019. Approved tenure of Shri Samuel Joseph ended on September 19, 2022.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board were of the view that Shri Joseph as a whole time Director has been part of the turnaround team and the Bank has earned profits for 8 consecutive Quarters, since March 2020, after 5 continuous years of losses. Thus, the NRC at its meeting held on May 02, 2022 considered and recommended the proposal for re-appointment of Shri Joseph as the DMD of the Bank for a further period of three years w.e.f.

डीएमडी के रूप में आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी 20 सितम्बर 2022 से तीन वर्ष की अगली अवधि के लिए बोर्ड से पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया एवं सिफारिश की. एनआरसी की सिफ़ारिश के अनुसरण में, बोर्ड ने 02 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में श्री जोसेफ की 20 सितम्बर 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को अभिपुष्ट किया और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की सिफ़ारिश की. इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 01 सितम्बर 2022 के अपने पत्र के जरिए श्री जोसेफ की डीएमडी के रूप में 20 सितम्बर 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है. भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, निदेशक मंडल ने दिनांक 05 सितम्बर 2022 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन श्री जोसेफ की 20 सितंबर 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है.

एनआरसी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए श्री जोसेफ को देय पारिश्रमिक निम्नानुसार होगा, जो आरबीआई के अनुमोदन के अधीन है-

विवरण	**राशि (रुपए में)**
वेतन	67,65,000
परिलब्धियां*	13,59,000
भविष्य निधि	6,76,500
उपदान	2,81,875
वैरिएबल पे^	1,16,18,850
ईएसओपी/ईएसओएस/एसएआर$	77,45,900

* परिलब्धियों में मुफ्त सुसज्जित घर और उसके रखरखाव और क्लब सदस्यता का प्रावधान शामिल है;
^ वैरिएबल पे के दो घटक हैं अर्थात नकदी घटक और ईएसओपी के स्थान पर नकदी घटक. नकदी घटक, जो कुल वैरिएबल पे का एक तिहाई है, 50% अपफ्रंट घटक है और शेष 3 वर्षों की अवधि के लिए आस्थगित है.(मंजूर किए जाने की तिथि से 12.5%, 12.5% एवं 25% जो क्रमशः 1 साल, 2 साल और 3 साल पर देय होंगे) . ईएसओपी के स्थान पर नकदी घटक, जो कुल वैरिएबल पे का दो तिहाई है तथा कोई अपफ्रंट घटक नहीं है और शेष 4 वर्षों की अवधि के लिए आस्थगित है.(मंजूर किए जाने की तिथि से 15%, 20%, 30% एवं 35% जो क्रमशः 1 साल, 2 साल, 3 साल एवं 4 साल पर देय होंगे) .
$ ईएसओपी/एसआरए के रूप में गैर-नकदी घटक, को अग्रिम भुगतान नहीं है और तीन वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित है (मंजूर किए जाने की तिथि से 25%, 25%, एवं 50% क्रमशः 1 साल, 2 एवं साल एवं 3 साल पर देय होंगे).
टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए देय पारिश्रमिक के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी लंबित है..

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप दिए गए हैं.

<u>श्री जोसेफ का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:</u>

आईडीबीआई बैंक में शामिल होने से पहले श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज ने जुलाई 1998 से लेकर सितम्बर 2019 तक एक्जिम बैंक में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाला जिनमें मानव संसाधन, ऋण वसूली, एसएमई, कॉरपोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी इत्यादि शामिल थे. उन्होने कॉमनवेल्थ एक्जिम बैंक की स्थापना, लंदन में कॉमनवेल्थ सचिवालय के लिए छोटे द्वीप राज्यों के लिए व्यापार वित्त सुविधा, नाइजीरिया के एक्जिम बैंक के लिए फिल्म वित्तपोषण कार्यक्रम की शुरुआत, सऊदी अरब राज्य के लिए एक्जिम बैंक की स्थापना के लिए कई परामर्श कार्यों का नेतृत्व किया है. आईडीबीआई बैंक में डीएमडी के रूप में शामिल होने के बाद, श्री सैमुअल जोसेफ, बैंक के विभिन्न वर्टिकल को देख रहे हैं, यथा लार्ज कॉरपोरेट, मिड कॉरपोरेट, ट्रेड फाइनेंस, एनपीए प्रबंधन, डीआईएफसी और जीआईएफ़टी शाखाएं, वित्त एवं लेखा, आईटी, डेटा एनालिटिक्स, एमआईएस, डिजिटल बैंकिंग और एचआर आदि देख रहे हैं. श्री सैम्युअल जोसेफ दस वर्षों से अधिक समय से प्रमुख आंतरिक समितियों के सदस्य रहे हैं और इसलिए संचालन के सभी क्षेत्रों से परिचित हैं. वह बैंकिंग, व्यापार वित्त, परियोजना वित्त, एसएमई बैंकिंग आदि पर एक नियमित वक्ता हैं. वर्तमान में वे आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.; आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लि. के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 1 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफ़ारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या

September 20, 2022, liable to retire by rotation, to the Board for their approval. Pursuant to the recommendation of the NRC, Board at its meeting held on May 02, 2022 ratified the proposal for re-appointment of Shri Samuel Joseph for a period of three years w.e.f. September 20, 2022 and recommended for submission to the RBI for their approval in this regard. Further, RBI vide their letter dated September 01, 2022 approved the re-appointment of Shri Joseph as DMD for a period of three years w.e.f. September 20, 2022 and the Board of Directors on September 05, 2022 approved the re-appointment of Shri Samuel Joseph for a period of three years w.e.f. September 20, 2022, subject to approval of the members of the Bank.

The remuneration payable to Shri Joseph for FY 2022-23 as approved by NRC and Board, is as detailed below and is subject to approval of the RBI-

Particulars	**Amount (Rs.)**
Salary	67,65,000
Perquisites*	13,59,000
Provident fund	6,76,500
Gratuity	2,81,875
Variable Pay^	1,16,18,850
ESOP/ESOS/SAR$	77,45,900

** Perquisites includes provision of free furnished house & its maintenance and club membership;*
^ Variable Pay has two components viz. Cash component and Cash component in lieu of ESOPs. The Cash Component, which is 1/3rd of the Total Variable Pay, has an upfront portion of 50% and balance is deferred over a period of 3 years (12.5%, 12.5% & 25% payable after 1 year, 2 years and 3 years respectively from the date of grant). The Cash Component in lieu of ESOPs, which is 2/3rd of the Total Variable Pay, has no upfront component and is deferred over a period of 4 years (15%, 20%, 30% & 35% payable after 1 year, 2 years, 3 years & 4 years respectively from the date of grant).
$ Non-cash component in form of ESOP/SARs, has no upfront payment and is deferred over a period of 3 years (25%, 25% & 50% payable after 1 year, 2 years & 3 years respectively from the date of grant).
Note: The RBI Approval for remuneration payable for FY 2022-23 is pending.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

<u>The brief profile of Shri Joseph is provided hereinafter:</u>

Shri Samuel Joseph Jebaraj prior to joining IDBI Bank, served in EXIM Bank from July 1998 up to September 2019 in various capacities viz. HR, Loan Recovery, SME, Corporate Banking, Treasury etc. He has led number of consultancy assignments for setting up a Commonwealth Exim Bank, Trade Finance Facility for Small Island States for the Commonwealth Secretariat in London, Introduction of Film Financing program for the Exim Bank of Nigeria, Setting up of an Exim Bank for the Kingdom of Saudi Arabia, etc. After resuming as DMD of IDBI Bank, Shri Samuel Joseph, has been looking after Bank's various verticals, viz., Large Corporate, Mid Corporate, Trade Finance, NPA Management, DIFC & GIFT Branches, Finance & Accounts, IT, Data Analytics, MIS, Digital Banking, and HR. Shri Samuel Joseph has been a member of key internal committees for over ten years and hence conversant with all areas of operations. He is a regular speaker on Banking, Trade Finance, Project Finance, SME Banking, etc. He presently serves as director on the Board of IDBI Trusteeship Services Ltd.; IDBI MF Trustee Company Ltd. and IDBI Capital Markets & Securities Ltd.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.1 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Samuel Joseph Jebaraj himself) or Key

अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है. श्री सैमुअल जोसेफ बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं.

मद सं. 02:

श्री दीपक सिंघल (डीआईएन 08375146) को 28 फरवरी 2019 से 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 27 फरवरी 2023 को अपना 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1) (vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार श्री दीपक सिंघल लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हैं. श्री दीपक सिंघल ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया है. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर यह प्रस्ताव है कि श्री दीपक सिंघल को 28 फरवरी 2023 से लगातार 4 वर्षों के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जाए तथा इस डाक मतपत्र सूचना की मद सं. 2 में दिए गए संकल्प को पारित किया जाए. यह भी नोट किया जाए कि श्री दीपक सिंघल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं एवं सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियमन 16 के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और यह कि उक्त निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है.

श्री दीपक सिंघल बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क और साथ ही साथ वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था के लिए प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी के सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने श्री दीपक सिंघल को 28 फरवरी 2023 से लगातार 4 वर्षों के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है. एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

श्री दीपक सिंघल का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री दीपक सिंघल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कारोबार प्रशासन में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है. वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं और उन्होंने जयपुर से ग्रामीण प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है. श्री सिंघल आरबीआई में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक केंद्रीय बैंकर थे और उनके नाम कई चुनौतीपूर्ण और विविध कार्यों को सफलतापूर्वक निपटाए जाने का रिकॉर्ड दर्ज है. क्षेत्रीय निदेशक के रूप में, उन्होंने दो वर्षों से अधिक समय तक भारतीय रिज़र्व बैंक के अति महत्वपूर्ण नई दिल्ली कार्यालय का नेतृत्व किया. आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने बैंकिंग विनियमन, मानव संसाधन प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के प्रमुख कार्यों का नेतृत्व किया. उन्होंने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के मानक कार्यान्वयन समूह में आरबीआई का भी प्रतिनिधित्व किया. उनके पास विनियमन और पर्यवेक्षण से लेकर मानव संसाधन प्रबंधन और वित्तीय समावेशन एवं विकास तक का विविध अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर है. वह जनवरी 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए. वर्तमान में वे आरबीआई सर्विसेस बोर्ड के अंशकालिक सदस्य एवं फाइनेंसियल सर्विसेस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के सदस्य तथा नबकिसन फाइनेंस लिमिटेड, श्रीसागर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, डीएसपीआईएन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (सलाहकार), इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और कॉजेंट ई-सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 2 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री दीपक सिंघल के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में उनके शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री दीपक सिंघल बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं.

Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Samuel Joseph Jebaraj is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Item No. 2:

Shri Deepak Singhal (DIN: 08375146) was appointed as an Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. February 28, 2019 for an initial period of 4 years. He is completing his current tenure of 4 years on February 27, 2023. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1) (vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Deepak Singhal is eligible for reappointment for second term of 4 consecutive years. Shri Deepak Singhal has offered himself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII (2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2021-22, it is proposed to re-appoint Shri Deepak Singhal as an Independent Director for second term of 4 consecutive years w.e.f. February 28, 2023 and pass the resolution contained under Item No.2 of this Postal Ballot Notice. It may be noted that Shri Deepak Singhal has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of SEBI Listing Regulations. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI Listing Regulations and the Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.

Shri Deepak Singhal shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Shri Deepak Singhal as Independent Director for the second term of 4 consecutive year w.e.f. February 28, 2023. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Deepak Singhal is provided hereinafter:

Shri Deepak Singhal has a Bachelor's and a Master's Degree in Business Administration from Allahabad University. He is Certified Associate of the Indian Institute of Bankers and has done a Post Graduate Programme in Rural Management from Jaipur. Shri Singhal was a Central Banker with over three decades of experience in RBI and has a record of successful delivery through a range of challenging and diverse assignments. As Regional Director, he headed the crucial New Delhi Office of RBI for over two years. As Chief General Manager at the Central Office of RBI, he headed key functions of Banking Regulation, Human Resources Management and Infrastructure. He also represented RBI on the Standards Implementation Group of the Basel Committee on Banking Supervision. He is having diverse experience and international exposure ranging from Regulation and Supervision to Human Resource Management and Financial Inclusion and Development. He retired as Executive Director of Reserve Bank of India in January 2019. He presently serves as Part time Member of RBI Services Board & Member of Financial Services Institutions Bureau and Director on the Boards of Nabkisan Finance Limited, Srisagar Capital Pvt. Ltd., DSPIN Consulting Private Ltd. (Advisor), Equirus Capital Private Ltd. and Cogent E-Services Private Limited.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.2 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Deepak Singhal himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Deepak Singhal is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

मद सं. 3:

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर (डीआईएन 08377808) को 05 मार्च 2019 से 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 04 मार्च 2023 को अपना 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1) (vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार श्री संजय जी. कल्लापुर लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हैं. श्री संजय जी. कल्लापुर ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया है. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर यह प्रस्ताव है कि श्री संजय जी. कल्लापुर को 05 मार्च 2023 से लगातार 4 वर्षों के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जाए तथा इस डाक मतपत्र सूचना की मद सं. 3 में दिए गए संकल्प को पारित किया जाए. यह भी नोट किया जाए कि श्री संजय जी. कल्लापुर ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए अनुसार स्वतंत्रता एवं सेबी लिस्टिंग विनियमावली के विनियमन 16 के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और यह कि उक्त निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है.

श्री संजय जी. कल्लापुर बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क और साथ ही साथ वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था के लिए प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी के सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने श्री संजय जी. कल्लापुर को 05 मार्च 2023 से लगातार 4 वर्षों के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है. एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर मुंबई विश्वविद्यालय से बीकॉम, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एम.एम.एस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस इकोनॉमिक्स में पीएचडी और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एसीएमए हैं. श्री कल्लापुर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद (ISB) में अकाउंटिंग के प्रोफेसर और डिप्टी डीन हैं. आईएसबी में शामिल होने से पहले, वह क्रैनर्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यूएसए में एक कार्यकाल के एसोसिएट प्रोफेसर थे. उन्हें स्नातक, परास्नातक और पीएचडी स्तरों पर अध्यापन का तीस वर्ष का अनुभव है. आईएसबी और पर्ड्यू के अलावा, उन्होंने एरिज़ोना विश्वविद्यालय, इरविन में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है. श्री कल्लापुर ने लगभग सभी प्रमुख लेखा पत्रिकाओं के लिए एक तदर्थ समीक्षक के रूप में कार्य किया है और 2008 से 2011 तक 'द अकाउंटिंग रिव्यू' के संपादक थे. आप ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट और जर्नल ऑफ़ फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग के संपादकीय बोर्ड में हैं. उन्होने वित्तीय और प्रबंधकीय लेखा और लेखा-परीक्षा पर शोध किया और ये शोध शीर्ष तीन लेखा पत्रिकाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित हुए हैं. उन्होंने लोकप्रिय मीडिया के लिए भी लिखा है, और उनके काम को भारत, यूके और यूएसए में समाचार पत्रों और नियामक नीति दस्तावेजों द्वारा उद्धृत किया गया है. श्री कल्लापुर ने भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड में कार्य किया है, जहां वे लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन और पॉलिसीधारक संरक्षण समितियों में शामिल थे. वर्तमान में वे आंध्र महिला सभा स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, हैदराबाद के शासी निकाय सदस्य के रूप में तथा श्री चैतन्य डिग्री एवं पीजी कॉलेज, महबूबनगर के सलाहकार एवं शासी निकाय सदस्य के रूप में तथा फोरम फॉर इंडियन एकाउंटिंग रिसर्च के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 3 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री संजय जी. कल्लापुर के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनके शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है. श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं हैं.

Item No. 3:

Shri Sanjay Gokuldas Kallapur (DIN: 08377808) was appointed as an Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. March 05, 2019 for an initial period of 4 years. He is completing his current tenure of 4 years on March 04, 2023. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Sanjay G. Kallapur is eligible for reappointment for second term of 4 consecutive years. Shri Sanjay G. Kallapur has offered himself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII (2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2021-22, it is proposed to re-appoint Shri Sanjay G. Kallapur as an Independent Director for second term of 4 consecutive years w.e.f. March 05, 2023 and pass the resolution contained under Item No.3 of this Postal Ballot Notice. It may be noted that Shri Sanjay G. Kallapur has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of SEBI Listing Regulations. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI Listing Regulations and the Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.
Shri Sanjay G. Kallapur shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Shri Sanjay G. Kallapur as Independent Director for the second term of 4 consecutive years w.e.f. March 05, 2023. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Sanjay Gokuldas Kallapur is provided hereinafter:

Shri Sanjay Gokuldas Kallapur is a B.Com from University of Mumbai, M.M.S from Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Ph.D in Business Economics from Harvard University and ACMA from Institute of Cost Accountants of India. Shri Kallapur is Professor of Accounting and Deputy Dean at the Indian School of Business, Hyderabad (ISB). Prior to joining ISB, he was a tenured Associate Professor at the Krannert School of Management, Purdue University, USA. He has thirty years' of experience in teaching at the Bachelor's, Master's and PhD levels. In addition to ISB and Purdue, he has also taught at the University of Arizona, University of California at Irvine, the Hong Kong University of Science & Technology and National University of Singapore. Shri Kallapur has served as an Ad-hoc Reviewer for almost all the major accounting journals and was an editor of The Accounting Review from 2008 to 2011. He is on the editorial boards of the Australian Journal of Management and the Journal of Financial Reporting. He conducts research on financial and managerial accounting and auditing and has published in each of the top three accounting journals. He has also written for the popular media, and his work has been quoted by newspapers and regulatory policy documents in India, UK and the USA. Shri Kallapur has served on the Board of Life Insurance Corporation of India, where he was on the Audit, Risk Management and Policyholder Protection committees. He presently serves as governing body member of Andhra Mahila Sabha School of Informatics, Hyderabad & Advisor & Governing body member of Sri Chaitanya Degree and PG College, Mahabubnagar and Director on the board of Forum for Indian Accounting Research.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.3 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Sanjay G. Kallapur himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Sanjay G. Kallapur is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

सूचना के लिए अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(क) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में विवरण

निदेशक का नाम	**श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज**	**श्री दीपक सिंघल**	**श्री संजय जी. कल्लापुर**
पदनाम	उप प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक
जन्म तिथि/ आयु	22.06.1968 54 वर्ष	21.01.1959 63 वर्ष	08.08.1963 59 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तिथि	20 सितंबर 2019	28 फरवरी 2019	5 मार्च 2019
योग्यता	बीई (ऑनर्स), एमबीए	बीए (अर्थशास्त्र) और एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीपीआरएम	बीकॉम, एमएमएस, बिजनेस इकोनॉमिक्स में पीएच.डी., एसीएमए
विशेषज्ञता	लेखा, बैंकिंग, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, जोखिम, वित्त, आईटी, बिक्री एवं विपणन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मानव संसाधन, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन	लेखा, अर्थशास्त्र, वित्त, जोखिम, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशकत्व	1. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि; 2. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि; 3. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लि.	1. आरबीआई सेवा बोर्ड - अंशकालिक सदस्य; 2. वित्तीय सेवाएं संस्था ब्यूरो – सदस्य; 3. नबकिसान फाइनेंस लि; 4. श्रीसागर कैपिटल प्राइवेट लि; 5. डीएसपीआईएन कंसल्टिंग प्राइवेट लि. (सलाहकार); 6. इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लि; 7. कोजेंट ई-सर्विसेज लि.	1. फोरम फॉर इंडियन अकाउंटिंग रिसर्च; 2. आंध्र महिला सभा स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, हैदराबाद- अभिशासी निकाय सदस्य; 3. श्री चैतन्य डिग्री और पीजी कॉलेज, महबूबनगर - सलाहकार और अभिशासी निकाय सदस्य
सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशकों ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो	कोई भी नहीं	कोई भी नहीं	कोई भी नहीं
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशक की शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य

सूचना के लिए अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(क) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में विवरण

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	शून्य	शून्य	शून्य
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	उप प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक की पुनर्नियुक्ति के लिए निबंध एवं शर्तें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी, धारा 196, 197, 203 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V में दी गई हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार डीएमडी, बोर्ड अथवा एमडी एवं सीईओ द्वारा सौंपी गई शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग और निर्वहन करेंगे जो एमडी एवं सीईओ के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन होंगे.	स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के लिए निबंध एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, सेबी लिस्टिंग विनियमों और आरबीआई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई हैं.	स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के लिए निबंध एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, सेबी लिस्टिंग विनियमों और आरबीआई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई हैं.
पारिश्रमिक	डीएमडी को देय पारिश्रमिक एनआरसी एवं बोर्ड द्वारा अनुशंसित और आरबीआई द्वारा अनुमोदित अनुसार होगा.	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र.	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र.
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का औचित्य और भूमिका के लिए आवश्यक कौशल एवं क्षमताएं और जिस तरीके से प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं.	लागू नहीं	बैंक के बोर्ड में उनके लगभग 4 वर्षों के निरंतर पिछले प्रदर्शन के आधार पर और उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर, श्री दीपक सिंघल और श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्त करने का प्रस्ताव है.	
उनके कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया (आयोजित/ उपस्थित)	22/22	22/22	22/22

Annexure to the notice

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	**Shri Samuel Joseph Jebaraj**	**Shri Deepak Singhal**	**Shri Sanjay G. Kallapur**
Designation	Deputy Managing Director and Whole time Director	Independent Director	Independent Director
Date of Birth/ Age	22.06.1968 54 years	21.01.1959 63 years	08.08.1963 59 years
Date of first appointment	September 20, 2019	February 28, 2019	March 05, 2019
Qualification	BE (Hons.), MBA	B.A.(Economics) and MBA, CAIIB, PGPRM	B.Com., M.M.S., Ph.D. in Business Economics, ACMA
Expertise	Accountancy, Banking, Business Management, HR, Risk, Finance, IT, Sales & Marketing, Administration and Corporate Governance	Agriculture & Rural Economy, Banking, HR, Business Management, Administration and Corporate Governance	Accountancy, Economics, Finance, Risk, Administration and Corporate Governance
Directorship in other entities	1. IDBI Trusteeship Services Ltd.; 2. IDBI MF Trustee Company Ltd.; 3. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	1. RBI Services Board – Part time Member; 2. Financial Services Institutions Bureau – Member; 3. Nabkisan Finance Ltd.; 4. Srisagar Capital Pvt. Ltd.; 5. DSPIN Consulting Private Ltd. (Advisor); 6. Equirus Capital Private Ltd.; 7. Cogent E-Services Ltd.	1. Forum For Indian Accounting Research; 2. Andhra Mahila Sabha School of Informatics, Hyderabad-Governing Body member; 3. Sri Chaitanya Degree and PG College, Mahabubnagar – Advisor & Governing body member
Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	None	None	None
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	Nil	Nil	Nil
Shareholding of Director	Nil	Nil	Nil
Relationship between directors inter-se	Nil	Nil	Nil

Annexure to the notice

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	Terms and conditions for Re-appointment of DMD & WTD are as provided in Section 35B of Banking Regulation Act, 1949, Section 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the Bank, the DMDs shall exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the MD & CEO, subject to the supervision, direction and control of the MD & CEO of the Bank.	Terms and conditions for re-appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013, provisions of SEBI Listing Regulations and RBI Guidelines.	Terms and conditions for re-appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013, provisions of SEBI Listing Regulations and RBI Guidelines.
Remuneration	Remuneration payable to DMD would be as recommended by the NRC & Board and approved by the RBI.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.
Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable	Based on their continuous past Performance of around 4 years on the Bank's Board and based on their performance evaluation, Shri Deepak Singhal & Shri Sanjay Gokuldas Kallapur are proposed to be re-appointed for second term as Independent Director.	
Number of Board meetings attended during FY 2021-22 and till date (Held/Attended)	22/22	22/22	22/22